भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2165
दिनांक 15 दिसम्बर 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मंकीपॉक्स के मामले

2165: **डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मंकीपॉक्स के वर्ष-वार कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में वर्तमान मंकीपॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा विशेषकर देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के प्रकोप के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) : 8 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, देश में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंकीपॉक्स रोग के 27 पुष्ट मामलों (एक मौत सहित), की सूचना मिली है जिसमें केरल से बारह मामलों (एक मृत्यु सहित) और दिल्ली से पंद्रह मामलों की सूचना है। वर्ष 2022 में 23 मामले और वर्ष 2023 में चार मामलों की सूचना मिली।

(ख) से (ङ): विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्तर पर इस रोग के घटते मामलों को ध्यान में रखते हुए 11 मई, 2023 को मंकीपॉक्स प्रकोप के संबंध में घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी) को वापस ले लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से रोग संक्रमण के देश मे आने के जोखिम को कम करने के साथ-साथ मंकीपॉक्स रोग के प्रबंधन के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक अंतक्षेपों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किये गए कुछ प्रमुख उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'मंकीपॉक्स रोग के प्रबंधन के बारे में दिशानिर्देश' जारी किए हैं जिन्हें https://ncdc.mohfw.gov.in/showfile.php?lid=852 पर देखा जा सकते हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से परिचालित किया गया था। दिशानिर्देशों में मंकीपॉक्स के

प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें मामलों की परिभाषा, निगरानी कार्यनीतियां, नैदानिक प्रबंधन, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, जोखिम संचरण शामिल हैं।

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य/जिला निगरानी अधिकारियों (एसएसओ) को मंकीपॉक्स रोग के संबंध में निगरानी कार्यकलापों में तेजी लाने के निदेश दिए गए हैं।

- आईसीएमआर के तहत एनआईवी पुणे (बीएसएल-4 प्रयोगशाला) को संदिग्ध मामलों के परीक्षण के लिए एक रेफरल प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, मंकीपॉक्स रोग के संबंध में नैदानिक परीक्षण करने के लिए 17 अन्य आईसीएमआर-वीआरडीएल नेटवर्क प्रयोगशालाओं को प्रचालित किया गया है। नमूना पैकेजिंग और परिवहन के बारे में अनुदेश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं।

- सभी हवाई अड्डों /बंदरगाहों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की गहन स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए गए थे।

- जब भी ऐसे मामलों की सूचना मिली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंकीपॉक्स के बारे में संचारी रोग चेतावनी जारी की है जो https://ncdc.mohfw.gov.in/showfile.php?lid=887 पर देखी जा सकती है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र को भी सक्रिय किया गया था।

- मंकीपॉक्स रोग के प्रबंधन हेतु के लिए निदान और टीकों के विकास की निगरानी के लिए मंकीपॉक्स रोग पर एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया है।

- सरकार ने विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के प्रकोप के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित की गई है और सामान्य लक्षणों, संदिग्ध मामलों की तत्काल रिपोर्टिंग की आवश्यकता और समुदाय के लिए इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह परिचालित की गई है।
- राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रण और रोकथाम के प्रयासों में सहायता के लिए प्रभावित जिलों में पुष्टि किए गए मामलों का पता लगाने के लिए केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया गया था।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है और उसने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक जन स्वास्थ्य कार्रवाई करने की सलाह दी है।

*****